संख्या-1/2016/2491/60-1-16-1/13(4)/16

प्रेषक,

नीना शर्मा,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 28 सितम्बर, 2016

विषयः- पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं के भरण-पोषण हेतु दी जा रही पेंशन/ अनुदान की दरों में वृद्धि।

महोदय,

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को भरण-पोषण हेतु दी जा रही शासनादेश संख्या-3533/60-1-07 -1/13(40)/04, दिनांक 13 अगस्त 2007 द्वारा निर्धारित पेंशन की दर को पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- अतः श्री राज्यपाल महोदय उक्त योजना के अन्तर्गत रू0 300/- प्रतिमाह की दर को बढ़ाकर दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से रू0 500/- प्रतिमाह करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। तद्नुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 13.08.2007 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा इस संबंध में पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों के शेष प्रतिबन्ध एवं शर्ते यथा प्रभावी रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1332/दस-2016, दिनांक 23.09.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीया,

(नीना शर्मा)
सचिव

संख्या-1/2016/2491(1)/60-1-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(पंचम राम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in